अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ जोधपुरा संघर्ष समिति का धरना 841वें दिन भी जारी

ग्राम जोधपुरा के शमशान घाट को लेकर ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा

मांगों को लेकर ग्रामीणों ने एडीएम ओमप्रकाश सहारण को ज्ञापन सौंपा।

■ ग्रामीणों ने कहा कि जब तक ग्राम जोधपुरा का पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक पूर्व में स्थित शमशानों को यथास्थिति में रखा जाये

कोटपूतली, (निसं)। जोधपुरा संघर्ष समिति द्वारा ग्राम अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को लगातार 841 वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को समिति सदस्यों ने जिला कलक्टर के नाम एडीएम ओमप्रकाश सहारण को अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रशासन द्वारा शमशान घाट (मोक्षधाम) का पुनर्वास किये जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट द्वारा जोधपुरा के शमशान घाट को गांव से 1.5 किलोमीटर दूर ग्राम कांसली की सीमा पर शिफ्ट किये जाने को लेकर समिति ने आपत्ति की है कि जब तक ग्राम जोधपुरा का पुनर्वास नहीं होगा तब तक पुश्तैनी जगह पर ही दाह संस्कार करेंगे। यदि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पुश्तैनी शमशान घाट से बेदखल करेगा तो अनिश्चितकालीन धरना व आन्दोलन प्लांट के गेट नंबर 02 पर किया जायेगा। ग्रामीणों का कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रशासन द्वारा राजस्व ग्राम मोहनपुरा के 120 परिवारों का ही पुनर्वास किया गया है। मोहनपुरा के ही मौहल्ले जोधपुरा का पुनर्वास बाकी छोड़ दिया गया।

इसके बावजूद भी अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रशासन द्वारा श्मशान घाट (मोक्ष धाम) जोधपुरा से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुनर्वासित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक ग्राम जोधपुरा का पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक पूर्व में स्थित श्मशानों को यथास्थिति में रखा जायें एवं अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रशासन को पुनर्वासित किए गए श्मशानों के प्रवेश द्वार से जोधपुरा नाम को हटवाया जाये और आगे पूर्व में स्थित श्मशान घाटों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने के लिये पाबंद किये जाने की मांग भी की।

इस दौरान समिति उपाध्यक्ष सतपाल यादव, सचिव कैलाश यादव, सदस्य लीलाराम यादव, एड. मनोज चौधरी, मदनलाल योगी, भूपसिंह धानका, सुबेसिंह मीणा, विजय यादव, प्रभुदयाल वर्मा, हरभगत नारवाल, दिनेश यादव, संकेश योगी, रामनिवास योगी, हंसराज योगी, रामनिवास अध्यापक, ओमप्रकाश यादव, रामस्वरूप सैन, सुरेश कुमार शर्मा, श्रीपाल यादव, राकेश कुमार खोल, गौरव सुरेलिया, राजेंद्र प्रसाद यादव, ओमप्रकाश, महिपाल यादव, रामस्वरूप मीणा, सुनील योगी, सियाराम यादव, सचिन यादव, जेपी कोटिया, पूर्व सरपंच नरेंद्र समेत ग्रामीण मौजूद रहे।

गाड़ियों से स्टंट करने वाले सात युवक शांतिभंग में गिरफ्तार

दूदू पुलिस ने गाड़ियों से स्टंट करने के मामले में सात जनों को पकड़ा।

■ चार वाहन जिनमें थार गाड़ी, वरना कार, क्रेटा कार व फोक्स कार जब्त की

सांभरझील, (निसं)। गाड़ियों से स्टंट कर आमजन में भय पैदा करने वाले सात जनों को पुलिस ने शांतिभंग में गिरफ्तार किया है। थाना दूदू पर अभय कमाण्ड से सूचना मिली कि बगरू इलाके से एक काले कलर की थार गाड़ी चोरी हो गयी है।

सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा के निर्देशन में वृत्ताधिकारी दूदू दीपक खण्डेलवाल के सुपरविजन तथा थानाधिकारी दूदू मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा तुरन्त रवाना होकर दूदू पुलिया से नीचे अजमेर रोड़ पंहुची और नाकाबंदी की गई। दौराने नाकाबंदी एक थार गाड़ी व अन्य तीन गाड़ियां स्टंट करती हुई नजर आई जिनको रूकवाया तो वाहनों में बैठे व्यक्ति उतरकर भागने लगे, जिनको जाब्ता की मदद से डिटेन कर पूछताछ की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उक्त व्यक्तियों द्वारा आम रास्ते पर वाहनों से स्टंट करके आमजन में भय का माहौल पैदा कर अशांति पैदा करने व संदिग्ध प्रतीत होने पर सात युवकों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। चार वाहन थार गाड़ी, वरना कार, क्रेटा कार व फोक्स कार को धारा 207 एमवी एक्ट में जब्त किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। पकड़े गए युवक शुभम मान पुत्र रोहिताश जाट निवासी गोरिर थाना मैवाड़ा जिला झून्झूनुं, पिंटू सैनी पुत्र बालुराम सैनी निवासी सोंलगपुरा थाना छावनी जिला टोंक, राजवीर मीणा पुत्र नाथूराम मीणा निवासी पटेल मार्ग थाना शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, अभिषेक पुत्र महावीर गुर्जर निवासी दहमीकलां थाना बगरु जिला जयपुर, रणवीर सिहं पुत्र ओमसिंह राजपूत निवासी जुगल महाराज का मौहल्ला बगरु थाना बगरु जिला जयपुर, दीपक गौरा पुत्र हरदयाल गौरा निवासी नन्द गांव पोस्ट धानक्या थाना बिन्दायका जिला जयपुर शहर, विकास बधाला पुत्र मदन लाल जाट निवासी झान्झरिया थाना बगरु जिला जयपुर शहर के रहने वाले हैं।

तीन लुटेरे बापर्दा गिरफ्तार

जयपुर। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहगीरों को पैरों से टंगड़ी मार कर जेब से रुपये निकालने वाली टंगड़ी गैंग के तीन शातिर लुटेरों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस लूटे गए माल सहित वारदात में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी जब्त की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि सिंधी कैंप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पैरों से टंगड़ी मार कर जेब से रुपये निकालने वाली टंगड़ी गैंग के शातिर बदमाश नियाजुदीन उर्फ फाट्या, मुन्ना उर्फ ईदू और मोनू को गिरफ्तार किया है और तीनों ही आरोपित भट्टा बस्ती इलाके के रहने वाले है। आरोपित मुन्ना और मोनू के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के है। जिनके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज है।

पिता ने पांच माह की जुड़वा बेटियों को पटक-पटक कर मार डाला

■ वारदात के बाद परिवारवालों ने बच्चियों को जोहड़े में दफना दिया, आरोपी फरार

■ मां की शिकायत पर पुलिस ने दोनों शवों को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम कराया

पाटन, (निसं)। नीमकाथाना शहर के वार्ड नंबर 31 में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निर्दयी पिता ने अपनी ही पांच महीने की जुड़वा मासूम बेटियों को बेरहमी से पटक-पटक कर मार डाला। वारदात के बाद परिवारवालों ने बच्चियों को जोहड़े में दफना दिया। मां की शिकायत पर पुलिस ने दोनों शवों को जमीन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया और आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मृत बच्चियों की मां अनिता यादव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 11 नवंबर 2016 को अशोक कुमार यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति और सास उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। जब 4 नवंबर 2024 को उसने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया तो पति और सास दोनों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए कि वह वंश नहीं बढ़ा सकती। अनिता के अनुसार, 27 मार्च को दोपहर तीन बजे किसी घरेलू काम को लेकर पति अशोक कुमार और सास से उसका झगड़ा हुआ। इसी दौरान अशोक कुमार ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। उसने पहले एक बेटी को जमीन पर जोर से पटका, जिससे उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। फिर दूसरी बच्ची को भी बेरहमी से पटककर मार डाला।

मां बेहोश, परिवारवालों ने बच्चियों को दफना दिया:- इस दर्दनाक मंजर को देखकर अनिता बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो परिवारवालों ने बताया कि दोनों बच्चियां खत्म हो गई और उन्हें दफना दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अनिता ने अपने पिता कजोड़मल यादव के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने शव निकाले, पोस्टमार्टम कर दफनाया:- जुड़वा बच्चियों निधि और नव्या की हत्या की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और एसडीएम राजवीर यादव, पुलिस अधिकारी रोशन मीणा तथा पीएमओ डॉ. कमल सिंह शेखावत की मौजूदगी में शवों को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया।

हत्या का मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी:- पुलिस ने अनिता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अशोक कुमार यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि, वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। इस वीभत्स घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। मासूम बच्चियों का हत्या ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है।

ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दो अधेड़ भाइयों की दर्दनाक मौत

■ गंभीर घायल एक अन्य का भीलवाड़ा के निजी अस्पताल में उपचार जारी

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-148 डी पर रेलवे पुलिया के निकट गुरुवार शाम हुए हादसे में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दो अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति के सिर से होकर ट्रेलर गुजरा तो दूसरे के पैर और कमर से होकर वहीं तीसरे व्यक्ति के हाथ व आधे सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं।

जानकारी अनुसार खामोर निवासी दो सगे भाई सोहन पुत्र किसना तेली व बरदा पुत्र किसना तेली सहित उनके ही समाज का गोपाल पुत्र सुवा तेली एक ही बाइक पर सवार होकर सामाजिक कार्यक्रम में सूतीखेड़ा शामिल होने गए थे। शाम को कार्यक्रम से निपटने के बाद तीनों साथ ही खामोर लौट रहे थे। तभी गुलाबपुरा रेलवे पुलिया के निकट ट्रेलर से हादसे का शिकार हो गए, सोहन (60) पुत्र किसना तेली, बरदा (55) पुत्र किसना तेली की मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल गोपाल पुत्र सुवा तेली का भीलवाड़ा के निजी अस्पताल में वेंटीलेटर पर उपचार जारी है। दोनों भाइयों के मृत शरीर को पोस्टमार्टम कर शुक्रवार सुबह परिजन अपने गांव लेकर आए। एंबुलेंस से उतारने से पहले ही रिश्तेदार, बेटियों और बेटों की चिक्कार फूट पड़ी। शवों को देख हर किसी की आंखों में आसूं आने लगे। मृतक सोहन पुत्र सुवा तेली की पत्नी की हाल ही में एक माह पहले ही मौत हुई थी। वहीं दो माह पहले परिवार में शादी समारोह था। बरदा पुत्र किसना तेली के छोटी लड़कियां और बच्चे है। वहीं गोपाल पुत्र सुवा तेली के पुत्र का कुछ दिनों बाद शादी का आयोजन भी था। ऐसे में परिवार के साथ आकस्मिक हादसा होना गहरा असर डाल गया।

नाबालिग के किडनैप-रेप मामले में बीकानेर एसपी को रिकॉर्ड साथ पेश होने के आदेश

■ नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और किडनैप मामले में हाईकोर्ट ने बीकानेर पुलिस पर सवाल उठाए

■ हाईकोर्ट ने देशनोक थाना अधिकारी और इस केस में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने की चेतावनी दी

बीकानेर, (निसं)। यहां सितंबर 2024 में नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और किडनैप मामले में हाईकोर्ट ने बीकानेर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने देशनोक थाना अधिकारी और इस केस में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही एसपी को रिकॉर्ड और शपथ पत्र के साथ पेश होने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।

मामला जिले के देशनोक थाने से जुड़ा है। सात अक्टूबर 24 को नाबालिग लड़की को अयोध्या से बरामद करने के बाद पुलिस ट्रेन से बीकानेर के लिए रवाना हुई थी। ये पहले जयपुर गए, जहां से बीकानेर के लिए रवाना हुए। नौ अक्टूबर को रास्ते में देशनोक थाने से महज 30 किलोमीटर दूर नोखा में ही ट्रेन से उतरकर एक होटल में रुक गए थे। इतना ही नहीं जिस होटल में रुके थे वह भी थाने से महज 30 किलोमीटर दूर थी। इसके बाद भी नाबालिग को दस अक्टूबर की रात आठ बजे लेकर पहुंचे। इस मामले में ये ही सवाल उठ रहा है कि आखिर लड़की को इतनी देर तक होटल में क्यों रोककर रखा। देशनोक पहुंचने के बाद भी नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द करने के बजाय बालिका सुधार गृह भेजा गया। जहां से छह-सात दिन बाद उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया। घर पहुंचने के बाद ही उसने सारे मामले का खुलासा किया। परिवादी ने आईजी बीकानेर, एसपी बीकानेर, सीओ नोखा, एसएचओ देशनोक, पुलिसकर्मी सुनील पूनिया, कॉन्स्टेबल गोपाल, सचिन और सुमन स्वामी को पार्टी बनाया था।

मामले के अनुसार 26 सितंबर 2024 को पुलिस थाना देशनोक में आईपीसी की धारा 137 (2) और 87 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय बहन का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने पीड़िता को अयोध्या से आरोपी के साथ बरामद किया। इसके बाद पीड्डिता के पिता ने पुलिस थाना नोखा में दूसरी प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी को आरोपी ने अगवाकर अयोध्या ले जाकर रेप किया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जो पुलिसकर्मी नाबालिग को लेकर अयोध्या से नोखा तक 1100 किलोमीटर का सफर कर चुके थे, फिर वे देशनोक क्यों नहीं गए, ऐसे में थानाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट के सामने पेश किए रिकॉर्ड के अनुसार देशनोक पुलिस 7 अक्टूबर 2024 को अयोध्या पहुंची और पीड़िता तथा आरोपी को अपनी कस्टडी में लिया। पुलिस टीम, जिसमें केवल कॉन्स्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी शामिल थे, दोनों को ट्रेन के माध्यम से अयोध्या से नोखा लेकर आई। 9 अक्टूबर 2024 को रात 10 बजे पुलिस नोखा पहुंची और वहां एक होटल में 20 घंटे तक ठहरी। इस दौरान पीड़िता को आरोपी के साथ एक कमरे में बंद करने, शारीरिक उत्पीड़न करने और उसे आरोपी के पक्ष में बयान देने के लिए दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट में गया। कोर्ट में मामला जाने के बाद 25 नवम्बर 2024 को नोखा पुलिस थाना को आदेश दिया कि अभियुक्त (पुलिसकर्मियों) के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करें। पीड़ित के निरंतर प्रयासों के बाद 27 नवम्बर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में देशनोक थाना अधिकारी समेत दो कॉन्स्टेबल और एक महिला कॉन्स्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अवैध पेट्रोलियम पदार्थ सहित वाहन जब्त

बालोतरा, (निसं)। पचपदरा पुलिस उप अधीक्षक अशोक जोशी एवं जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया की संयुक्त टीम द्वारा गांव पटाऊं में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 150 मीटर अंदर खेत में बने मकान के पास से अवैध पेट्रोलियम के भंडारण एवं क्रय विक्रय की अवैध गतिविधियों के संबंध कार्यवाही की गई।

जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि मौके से दो बड़े टैंकर 24- 24 हजार लीटर एवं दो छोटे पिकअप टैंकर 25-25 सौ लीटर, दो जनरेटर मय प्लास्टिक पाइप व 3 प्लास्टिक ड्रम जब्त किए गए। इस दौरान अनुमानित 53 हजार लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया। मौके से डिटेन किए गए。3 व्यक्तियों से 47 हजार रुपए जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि संबंधित संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना पचपदरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री के त्वरित निस्तारण व राजसात करने के लिए न्यायालय जिला कलक्टर बालोतरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पांच अभियंता सहित एक सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय निलंबित

जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-प्रथम पाली के जवाई क्लस्टर चतुर्थ जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जांच कमेटी की प्राथमिक जांच में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को लेकर 5 अभियंताओं सहित एक सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय को निलंबित कर दिया है। आदेशानुसार महेन्द्र कुमार तत्कालीन अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-प्रथम पाली हाल अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग जिला खण्ड झुंझुनू, महेन्द्र कुमार वर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-प्रथम पाली हाल अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड झुंझुनू, रामलाल मीना, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-प्रथम पाली हाल अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड कुचामन, प्रतिभा कटारिया, तत्कालीन सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-प्रथम पाली हाल सहायक अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, क्षेत्र जोधपुर स्थानान्तरणाधीन, प्रेमराज मीना, तत्कालीन सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-प्रथम पाली हाल सहायक अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, (परियोजना) परियोजना खण्ड मंडरायल जिला करौली सहित श्री युधिष्ठिर सिंह, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड-प्रथम पाली हाल कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली को निलंबित किया है।

कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा निलम्बित

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी कर महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा को राज्य सरकार के परामर्श से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। राज्यपाल ने प्रो. चंद्रा के खिलाफ संभागीय आयुक्त, भरतपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें निलंबित किया है। संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये।

जिला बहाली की मांग को लेकर शाहपुरा बंद रहा

शाहपुरा को पुनः जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन 87वें दिन भी जारी

जिला बहाली की मांग को लेकर शाहपुरा के लोगों ने प्रदर्शन किया।

■ आंदोलन के तहत हर माह की 28 तारीख को ब्लैक-डे मनाने का निर्णय लिया

शाहपुरा, (निसं)। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के आव्हान पर कस्बा शुक्रवार पूरी तरह से बंद रहा। शाहपुरा को पुनः जिला बनाने की मांग को लेकर यह आंदोलन लगातार 87वें दिन भी जारी रहा। वहीं आंदोलन के दौरान महलों के चौक से सदर बाजार होते हुए पूर्व आईएएस ललित के पंवार अध्यक्ष जिला रिव्यू कमेटी के पुतले की शवयात्रा निकाल कर उपखंड कार्यालय के बाहर पुतला दहन कर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल राजौरा और संयोजक रामप्रसाद जाट के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के तहत हर माह की 28 तारीख को ब्लैक-डे मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को शाहपुरा में बाजार पूर्णतः बंद रहे। इस बंद को व्यापार मंडल का भी पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे शहर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और सेवाएं ठप्प रहीं। सुबह से ही कस्बे के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और दुकानों के शटर बंद नजर आए। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने भी संघर्ष समिति के इस शांतिपूर्ण बंद को समर्थन दिया।

संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने भीलवाड़ा जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। शाहपुरा बंद और आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस विभाग ने कस्बे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि अब शाहपुरा की जिला बहाली के सिवाय किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। समिति का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित शाहपुरा जिले को वर्तमान सरकार ने वापस लेकर शाहपुरा की जनभावनाओं का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूरी तरह से गैर-राजनीतिक और जनहित में है और जब तक शाहपुरा को पुनः जिला नहीं बनाया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। शाहपुरा के आम नागरिकों में भी इस मुद्दे को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि उन्हें अब भी जिला स्तर की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और उन्हें भीलवाड़ा जैसे बड़े शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है। संघर्ष समिति का यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। यदि सरकार ने जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो यह आंदोलन और अधिक तीव्र रूप ले सकता है।

40 लाख रुपये से अधिक की ठगी और जबरन वसूली का मामला सामने आया

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया

■ गोकुल एग्री इंटरनेशनल (गेल) के अधिकारिया ने ठगी की, मामला दर्ज

भीलवाड़ा, (निसं)। व्यापारी शंकरलाल उर्फ शंभू बिड़ला के साथ गोकुल एग्री इंटरनेशनल (गेल) के अधिकारियों द्वारा 40 लाख रुपये से अधिक की ठगी और जबरन वसूली का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने पहले पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर थाना सिटी कोतवाली, भीलवाड़ा में एफआईआर के तहत आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

शंकरलाल बिड़ला, जो जय भोले शुगर कंपनी के माध्यम से तेल का व्यापार करते हैं, ने व्यापारिक लेन-देन के तहत गोकुल एग्री इंटरनेशनल से कारोबार शुरू किया था। इस दौरान विनुजी अमृतजी राजपूत के माध्यम से संपर्क हुआ और व्यापारिक सौदा तय हुआ। बाद में और सीताराम ऑयल कंपनी के बीच लेनदेन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। हालांकि, इस मामले से शंकरलाल बिड़ला का कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद के गेल के अधिकारियों ने उन्हें इसमें जबरन घसीट लिया और 40 लाख रुपये की जबरन वसूली की। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने 19 लाख रुपये नकद वसूले और 21 लाख रुपये के तीन चेक जबरन लिखवाकर अपने पास रख लिए। जब उन्होंने समझौते के तहत अपने चेक वापस मांगे तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी और 21 लाख रुपये और नहीं देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते व्यापारी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर अब थाना सिटी कोतवाली, भीलवाड़ा में विनुजी अमृतजी राजपूत, बलवंत राजपूत, विनोद राजपूत, प्रवीण खंडेलवाल, के.जी. वागेला, कांतिलाल प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर भीलवाड़ा के व्यापारियों में आक्रोश है और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।